न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील /25/2015

1—चन्द्रपाल सिंह । पुत्रगण केशवसिंह
2—भगतसिंह ।
3—करतारसिह पुत्र गोपाल
4—हेमेन्द्र सिंह पुत्र नरेन्दसिंह
5—नरेन्द्र सिंह पुत्र मुन्शीसिंह
6—सत्येन्द्र पुत्र करतारसिह

} जाति जाट निवासी रोजबिला कालोनी सारस चौराहा भरतपुर तहसील व भरतपुर (राज0)

.....अपीलान्ट

बनाम

1—शोभा शर्मा पत्नि मदन लाल । जाति ब्राहम्ण निवासी महाराणा प्रताप कालौनी
2—कु. चेतना पुत्री मदनलाल । कुम्हेर गेट भरतपुर तहसील व जिला भरतपुर
3—सत्यदीप पुत्र मदनलाल ।
4—राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार भरतपुर
5—नगर सुधार न्यास भरतपुर द्वारा सचिव
6—नगर निगम भरतपुर
7—एन.एच. परियोजना अधिकारी

.....रेस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू—राजस्व अधिनियम विरुद्ध आदेश सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी भरतपुर दिनांक 27.01.2001 बाबत नामान्तकरण संख्या 19 चक नं. 1 भरतपुर तहसील भरतपुर जिला भरतपुर

———

अपील /32/2015

1—चन्द्रपाल सिंह । पुत्रगण केशवसिंह
2—भगतसिंह ।
3—करतारसिह पुत्र गोपाल
4—हेमेन्द्र सिंह पुत्र नरेन्द्रसिंह
5—नरेन्द्र सिंह पुत्र मुन्शीसिंह
6—सत्येन्द्र पुत्र करतारसिह

} जाति जाट निवासी रोजबिला कालोनी सारस चौराहा भरतपुर तहसील व भरतपुर (राज0)

.....अपीलान्ट

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

अपील /25/2015
अपील /32/2015
चन्द्रपाल सिंह वगे0 बनाम शोभा शर्मा वगे.

बनाम

1—शोभा शर्मा पत्नि मदन लाल । जाति ब्राहम्ण निवासी महाराणा प्रताप कालौनी
2—कु. चेतना पुत्री मदनलाल । कुम्हेर गेट भरतपुर तहसील व जिला भरतपुर
3—सत्यदीप पुत्र मदनलाल ।
4—राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार भरतपुर
5—नगर सुधार न्यास भरतपुर द्वारा सचिव
6—नगर निगम भरतपुर
7—एन.एच. परियोजना अधिकारी

.....रेस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू—राजस्व अधिनियम विरुद्ध आदेश तहसीलदार,भरतपुर दिनांक 11.05.2015 बाबत नामान्तकरण संख्या 1250 चक नं. 1 भरतपुर तहसील भरतपुर जिला भरतपुर

उपस्थित :—
1—श्री विजयसिंह कुन्तल, अभिभाषक अपीलान्ट,
2—श्री कृष्णकुमार सिंघल, अभिभाषक, रेस्पो.

निर्णय दिनांक 19.6.2024

अपीलान्ट ने यह अपील संख्या/25/2015 विरुद्ध रेस्पो0 व खिलाफ आदेश नामान्तकरण संख्या 110 दिनांक 27.4.2010 पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.01.2001 नामान्तकरण संख्या 19 ग्रांम चक नम्बर 1 भरतपुर तहसील भरतपुर जो कि मदनलाल शर्मा आजाद पुत्र मिश्रीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी भरतपुर के नाम स्वीकार किया गया है से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपीलान्टान ने दूसरी अपील संख्या/32/2015 विरुद्ध रेस्पो.व खिलाफ आदेश नामान्तकरण संख्या 1250 दिनांक 11.5.2015 चक नम्बर 1 भरतपुर के पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश नांमान्तकरण संख्या 1250 जो कि मृतक की विरासत का वसीयतनामा के आधार पर रेस्पो के नाम स्वीकार किया गया है, जिससे व्यथित होकर अपीलान्टस ने यह अपील पेश की गई है।

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर

अपीलें दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. की तलबी की गई। उक्त दोनों अपीलों में एक ही विवादित आराजी है तथा समान पक्षकारान हैं। दोनों अपीलों में एक ही बहस सुनी जाकर एक ही निणर्य से निस्तारण किया जा रहा है। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि आराजी खसरा नम्बरान 1581/0.05, 1582/0.01, 1583/0.09 चक नम्बर–1 भरतपुर रेस्पो. के हक में नामान्तकरण स्वीकृत कर खातेदार अधिकार प्रदान करने व अमल दरामद का आदेश विधि विरुद्ध दिया है। उक्त आराजी सार्वजनिक उपभोग व उपयोग की पार्क की भूमि है इसलिए अपीलान्ट परिवेदित है। विवादित भूमि गैर मुमकिन नलची है जो सार्वजनिक उपयोग में आती है जिस पर रेस्पो. ने अतिक्रमण कर रखा है। विवादित आराजी नलची की भूमि है। योग्य अभिभाषक ने बताया कि तहत न्यायालय ने जिस सिविल न्यायालय के आदेश दिनांक 11.10.1999 का हवाला अपने आदेश में दिया है वह सतह तौर पर देखने से अधिकार क्षेत्र से परे होना प्रतीत होता है, जब आदेश क्षेत्राधिकार से परे होने के कारण शून्य है तो उक्त आदेश की पालना में स्वीकृत किया गया आदेश तहत निरस्तनीय है। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट का तर्क है कि विवादित आराजी गत खसरा नम्बर 1208/1–1 चक नम्बर 1 भरतपुर आरंभ से ही सरकारी भूमि रही है और राजस्व अभिलेख में सं0 2016 तक मकबूजा सरकार दर्ज रही है उसके बाद बिना किसी आदेश या पट्टे के महाराजा सवाई बृजेन्द्र सिंह जी के नाम गैर खातेदार के इन्द्राज व पैट्रोल पम्प के किस्त के आदेश कर दिये है और वाद में सिविल न्यायालय के आदेश की पालना में अपीलाधीन नामान्तकरण स्वीकृत कर दिया जो नियमों के विपरीत है। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट का यह भी तर्क है कि तथाकथित नामान्तकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने उत्तरवादीगण के पूर्वज मदनलाल के खातेदार के इन्द्राज करने का आदेश दिया जो उनके क्षेत्राधिकार से परे है तथा कातश्कारी अधिकारों के सम्बन्ध में कोई घोषणा अथवा स्थाई निषधाज्ञा का वाद सिविल न्यायालय के द्वारा सुने जाने योग्य नहीं है, उक्त भूमि पर महाराजा श्री बृजेन्द्रसिंह को गैर खातेदार साल 16 अंकित किया जिन्हें कोई अधिकार विक्रय करने का नहीं रहता है इसलिए कोई बैयनामा उनके द्वारा स्व.मदनलाल के नाम किया गया हो वह शून्य है। मदन लाल के फोत होने के बाद नामान्तकरण संख्या 1250 दिनांक 11–5–2015 से रेस्पो0 ने अपने नाम नये खसरा नम्बर पर खातेदार के इन्द्राज कराने का आदेश

जिला कलक्टर
भरतपुर

.....4

पारित कराया है यह नामान्तकरण भी आरंम्भ से शून्य है। क्यों कि जब नामान्तकरण संख्या 19 नियम विरुद्ध होने से निरस्तनीय है तो उसके बाद मदन लाल का विरासतन/वसीयत के आधार पर खोला गया नामान्तरण संख्या 1250 स्वतः ही निरस्त हो जावेगा। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के देरी से पेश करने के सम्बन्ध में बताया कि दिनांक 21.7.2015 को पटवारी हल्का के बताने पर अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई, तब तहसील कार्यालय में जाकर नकल वगे. प्राप्त कर अपील पेश की गई है, जानकारी दिनांक से अपील अन्दर म्याद है, अपील की देरी को माफ करने के लिये प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम धारा 5 पेश किया गया है। अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण सख्या 19 एवं नामान्तकरण संख्या 1250 निरस्त किया जावे। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.टी .2006 (।।) पेज 1422, एवं आर.आर.टी .2005 (।।) पेज 894 उद्धरत करते हुये अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की।

योग्य अभिभाषक रेस्पो0 ने अपने कथनों में जाहिर किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील गलत तथ्यों के आधार पर पेश की गई है। प्रस्तुत अपील नामान्तकरण संख्या 19 तारीखी 27.01.2001 चक नं. 1 के खिलाफ पेश की गई है। यह नामान्तकरण श्री बृजेन्द सिंह महाराजा भरतपुर के स्थान पर मदनलाल शर्मा आजाद के नाम स्वीकार किया गया है। नामान्तकरण से पूर्व सिविल न्यायालयों में नियमित दावा के द्वारा हाई कोर्ट एवम् सुप्रीम कोर्ट तक निर्णय हो चुके हैं जिनमें विवादित आराजी और कब्जे का लेकर विस्तृत विवेचन किया गया है। योग्य अभिभाषक रेस्पो. ने बताया कि उक्त आराजी के बाबत आबंटन पूर्व महाराजा कर्नल सवाई बृजेन्द्र सिंह जी को जिला कलेक्टर भरतपुर के आदेश दिनांक 9.9.1964 एवं 30.9.1965 को किया गया था जो जमाबन्दी सम्वत् 2022–2025 में अंकित है। तदपश्चात उक्त आराजी को सन् 1965 में कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ भूमि का भूमि रुपान्तरण हुआ है और इस अंकन खसरा गिरदवारी सम्वत् 2022–25 के कॉलम संख्या 41 में दर्ज है। इस प्रकार यह भूमि अकृषि प्रयोजनार्थ सन् 1965 में ही परिवर्तित हो गयी और अकृषि भूमि का बयनामा महाराज कर्नल बृजेन्द्र सिंह जी द्वारा मदनलाल को दिनांक 16.10.1982 को किया गया। रजिस्टर्ड बैयनमा व रुपान्तरित भूमि को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालयों को प्राप्त नहीं है। नामान्तकरण कार्यवाही एक सुक्ष्म कार्यवाही है इसमें किसी के हक हकूक तैय होते हैं विवादित आराजी को लेकर राजस्व न्यायालय एव सिविल न्यायालय द्वारा रेस्पो के हक में तय हो चुके हैं।

.....5

जिला कलक्टर
भरतपुर

योग्य अभिभाषक रेस्पो का यह भी तर्क है कि अपीलान्ट को अपील पेश करने का कोई अधिकार नहीं है, विवादित नामान्तकरण महाराज बृजेन्द्र सिह व रेस्पो0 के मध्य है, अपीलान्ट का विवादित भूमि से कोई लेना देना नहीं है। महाराजा सवाई बृजेन्द्र सिंह जी द्वारा अपीलान्ट के पक्ष में कभी भी कोई दस्तावेज नहीं लिखा गया है। अपीलान्ट एग्रीवेड परसन नहीं हैं। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट का तर्क है कि अपील म्याद बाहर पेश की गई, अपीलान्ट ने अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 21.7.15 को होना अंकित किया है जो गलत है अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलान्ट को पूर्व से ही थी जैसा कि सिविल न्यायालय भरतपुर निर्णय दिनांक 6.8.2019 का पैरा 19 में उल्लेख है। योग्य अभिभाषक का यह भी कहना है कि विचाराधीन अपील में से दो अपीलान्टस द्वारा अपनी अपील बिड्रो कर ली गई है तो शेष अपीलान्ट का भी काज आफ एक्शन स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तहसीलदार भरतपुर ने अपीलाधीन नामान्तकरण सही स्वीकार किया है। योग्य अभिभाषक रेस्पो का तर्क है जब नामान्तकरण संख्या 19 का नियमों के तहत स्वीकार किया गया है जिससे मदन लाल को खातेदारी मिली है और मदन लाल के फोत होने के बाद नियमानुसार उसके वारिसान का जरिये वसीयतनामा के आधार पर नामान्तकरण संख्या 1250 स्वीकार किया गया है जो विधिनुसार है। योग्य अभिभाषक रेस्पो. ने अपने कथनों के समर्थन में हमारा ध्यान आरआरडी 2018 पेज 1057, आरआरडी 2016 पेज 1051, आरआरटी 2012 पेज 676 , आरआरटी 2017 एससी पेज 139, आरआरटी 2016 पेज 1129, आरआरटी 2016 पेज 1139 पैरा 13 व 14, आरआरडी 1985 पेज 174, आर.आर.डी. 1977 पेज 673, आरआरटी 2007 पेज 1430 एवं डी.एनजे 2014 पेज 317 (एससी) उद्धरत करते हुये अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

हमने दोनों पत्रावलीयों का अवलोकन किया गया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया गया। उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत रुलिंग का ससम्मान अध्ययन किया गया। अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 19 का अवलोकन किया। नामान्तकरण अवलोकन से जाहिर है कि यह नामान्तकरण आराजी खसरा नम्बर 1208 मि. रकवा एक बीघा का श्री बृजेन्द्रसिंह महाराजा भरतपुर नरेश गैर खातेदार साल 16 के स्थान पर मदनलाल शर्मा आजाद पुत्र मिश्रीलाल खातेदार के हक स्वीकार किया गया है।

नामान्तकरण संख्या 19 के कॉलम संख्या 2 लगायत 6 में गत खसरा नम्बर 1208 रकवा 1बीघा के नीचे अंकित किया हुआ है जो इस प्रकार है –

.....6

जिला कलक्टर
भरतपुर

हाल खसरा नम्बर 1581/0.06, 1582/0.01, 1583/0.09 कुल किता 3 रकवा 0.06 है0 दर्ज किया हुआ है, एवं उनके सामने गे.मु.पेट्रोल पम्प का अंकन किया हुआ है। नामान्तकरण में हाल नम्बर 1581/0.06, 1582/0.01, 1583/0.09 कुल किता 3 रकवा 0.06 हे0 भूमि किस्म गे.मु.पेट्रोल पम्प के हो रहे अंकन से यह जाहिर है कि श्री बृजेन्द्रसिंह महाराजा भरतपुर नरेश ने विवादित आराजी का भूमि रुपान्तरण पेट्रोल पम्प हेतु कराया गया है। प्रतिवादीगण के पति/पिता मदनलाल शर्मा ने विवादित आराजी खसरा नम्बरान को जरिये पंजीकृत बयनामा से दिनांक 16.10.1982 को क्रय करके कब्जा प्राप्त किया है।

हमें यह देखना है कि अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण सें संख्या 19 एवं नामान्तकरण संख्या 1250 नियमों के तहत स्वीकार किये गये है या विधि विरुद्व।

नामान्तकरण संख्या 19 जिस प्रकार दर्ज है उससे यह जाहिर है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर हाल 1581/0.06, 1582/0.01, 1583/0.09 कुल किता 3 रकवा 0.06 है0 की भूमि किस्म गै0मु0 पेट्रोल पम्प दर्ज है, जिस पर श्री बृजेन्द्रसिंह महाराजा भरतपुर नरेश गैर खातेदार दर्ज हैं। नामान्तकरण में हो रहे इन्द्राज से जाहिर है कि श्री बृजेन्द्रसिंह महाराजा भरतपुर नरेश ने अपने जीवन काल में भूमि की किस्म परिवर्तन कराली गई। विवादित आराजी खसरा नम्बर हाल 1581/0.06, 1582/0.01, 1583/0.09 कुल किता 3 रकवा 0.06 है0 का बेचान रेस्पो के पति/पिता मदनलाल शर्मा को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 16.10.1982 विक्रय कर दिया गया है। रेस्पो के पति/पिता उक्त रजिस्टर्ड बैयनामा के आधार पर अपने नाम विवादित आराजी पर खातेदारी अंकन करा पाने अधिकारी थे, परन्तु विवादित आराजी को लेकर अपीलान्टस द्वारा सिविल न्यायालय में दावा दायर किये हुये थे, माननीय सिविल न्यायालय द्वारा अपीलान्टस के दावा खारिज किये जाने के उपरान्त ही तहसीलदार भरतपुर ने नामान्तकरण संख्या 19 में माननीय सिविल न्यायालय के निर्णय दिनांक 11.10.99 का हवाला देते हुये क्रेता मदनलाल के हक में नामान्तकरण स्वीकार किया गया है, जिसमें तहसीलदार भरतपुर ने कोई त्रुटि नहीं की है, रजिस्टर्ड बयनामा आज भी अस्तित्व में है।

जहॉ तक नामान्तकरण संख्या 1250 का यह नामान्तकरण मदनलाल शर्मा के फोत होने के बाद उसकी विरसात का वसीयतनामा के आधार पर खोला जाकर तहसीलदार भरतपुर द्वारा स्वीकार किया गया है। स्व0 मदनलाल की

.....7

जिला कलक्टर
भरतपुर

विरासत के बाबत किसी न कोई उज्रदारी नहीं की है। यानि विरासत का वसीयतनामा के आधार पर खोला गया नामान्तकरण संख्या 1250 नियमानुसार नियमों के अन्तर्गत स्वीकार किया गया है।

विवादित आराजी को लेकर पक्षकारान के मध्य विभिन्न न्यायालय में प्रकरण चले हैं। पत्रावली में उपलब्ध माननीय संभागीय आयुक्त,भरतपुर की अपील संख्या 61/2016 उनवानी चन्द्रपालसिंह वगे0 बनाम श्रीमती शोभा शर्मा वगे0 पारित निर्णय दिनांक 30.10.2017 का अवलोकन किया गया। माननीय संभागीय आयुक्त, भरतपुर ने अपने निर्णय दिनांक 30.10.2017 को विस्तृत आदेश पारित किया है, माननीय संभागीय आयुक्त, भरतपुर उक्त निर्णय के पृष्ठ संख्या 5/6 के पैरा संख्या–2 में अंकित किया है जो इस प्रकार है :–

"".....पत्रावली में उपलब्ध भू अभिलेख निरीक्षक कस्बा भरतपुर की रिपोर्ट फोटो प्रति दिनांक 06.09.16 का अवलोकन किया। जिसमें अंकित किया है कि नामा0 सं0 19 दिनांक 25.01.2001 माननीय न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्याधीश व.ख. संख्या 2 भरतपुर के निर्णय दिनांक 11.10.99 की पालना में एवं बयनामा के आधार पर मदन लाल खातेदार दर्ज हुआ है नामान्तकरण संख्या 1250 दिनांक 11.05.15 से वसीयत द्वारा श्रीमती शोभा शर्मा पत्नि मदनलाल, कु0 चेतना पुत्री मदनलाल, सन्दीप पुत्र मदनलाल का नाम दर्ज किया गया..... विवादित भूमि आबादी/व्यावसायिक के रुप में दर्ज रिकार्ड हो चुकी है..... पूर्व विवादित आराजी खसरा नम्बर 1208 रकवा 1बीघा बांके कस्वा भरतपुर चक नं.1 भरतपुर भू.पू. महाराजा सवाई श्री कर्नल बृजेन्द्र सिह को सं0 2020 दिनांक 09–09–64 को आंवटन हुआ व उन्हें दखल एवं कब्जा भी दिया गया। तत्पश्चात सन् 1965 में उक्त रकवा में रुपान्तरण एग्रीकल्चरल से नॉन एग्रगीकल्चरल बहक भू.पू. महाराज साहब को आदेश क्रमांक 5530 दिनांक 30.9.65 मंजूर हुआ जिसका हवाला सं. 2023 की खसरा गिरदावरी के कॉलम संख्या 41 में दर्ज नोट से जाहिर है। अतः उक्त रकवा की किस्म निर्माण हेतु तब्दील हो चुकी है। तदानुसर मिल्कीयती संबधी कानूनी हकुक भू0पू0 महाराजा श्री बृजेन्द्र सिंह को प्राप्त थे जिन्हें रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 16.10.82 के अनुसार श्री मदनलाल शर्मा आजाद एडवोकेट ने खरीद लिया। आईओसी

.....8

जिला कलक्टर
भरतपुर

के हक में एक आदेश दिनांक 02.01.67 को तत्कालीन जिलाधीश भरतपुर द्वारा लिया गया परन्तु उक्त मूल आदेश में कहीं भी किसी भी खसरा नम्बर व हदूदअरबा आदि का हवाला नहीं है और न ही उक्त आदेश के अनुसार कोई लीज डीड आज दिन तक सम्पादित हुई है । इसके अलावा आई.ओ.सी. द्वारा रेस्पो.सं.1 लगा0 3 के पति/पिता के विरुद्व माननीय सिविल न्यायाधीश भरतपुर के समक्ष दो वाद मु0 नं0 3/96 व 32/96 उनवानी मै0 इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन बनाम मदन लाल शर्मा पेश किये गये थे जिनका निर्णय दिनांक 11.10.99 को किया गया था जिसमें कब्जा व आधिपत्य मदन लाल शर्मा का माना है.....।"

अपीलान्ट का यह कहना कि विवादित आराजी सार्वजनिक बगीचा की भुमि है एवं गैर मुमकिन नलची है ऐसा काई राजस्व रिकार्ड हमारे समक्ष पेश नहीं किया गया जिससे अपीलान्टस के मौखिक कथनों की पुष्टी होती हो। अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 19 में किस्म भूमि के कॉलम में गै.मु. पैट्रोल पम्प अंकन हो रहा है यानि रेस्पो के पति/पिता स्व0 मदन लाल शर्मा ने जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 16.10.1982 रुपान्तरित भूमि क्रय की गई है। क्रय शुदा विवादित आराजी खसरा नम्बरान में अपीलान्टस का कोई सार्वजनिक हित नहीं है और नाहीं अपीलान्टस अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण से परिवेदित व्यक्ति हैं इस प्रकार अपीलान्टस का विवादित आराजी में कोई Locus standia नहीं है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा0दी0 खारिज योग्य रहता है।

अपील म्याद बाहर के प्रश्न पर योग्य अपीलान्टस का यह कहना कि उन्हें अपीलाधीन आदेश की जानकारी पटवारी हल्का से दिनांक 21.7.2015 को हुई, यह कथन स्वीकार योग्य नहीं रहता है क्यों कि माननीय सिविल न्यायालय के निर्णय दिनांक 06.08.2019 के पैरा 19 में कथन है जो इस प्रकार है –

".....कि वादीगण ने जिरह के दौरान यह भी स्वीकार किया है कि उन्हें उक्त दस्तावेज के निष्पादन की सन् 1982 से ही जानकारी थी। ऐसे में जब उन्हें उक्त दस्तावेज के निष्पादन की सन 1982 से ही जानकारी थी तो उनके द्वारा उक्त दस्तावेज को करीबन 33 वर्ष पश्चात वर्ष 2015 मे निरस्त कराने बाबत हस्तगत वाद प्रस्तुत किया गया है जो स्पष्ट तौर पर वार्ड बाई लॉ है.....।"

.....9

जिला कलक्टर
भरतपुर

इस प्रकार प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम धारा 5 भी अस्वीकार किया जाता है। इस प्रकार विचाराधीन अपीलें म्याद बाहर होने से भी खारिज योग्य हैं। नामान्तकरण कार्यवाही एक फिसिकल प्रोसिंडिग है इस में किसी हक हकूक तय नही किये जाते हैं। इस प्रकार विचाराधीन अपीलें गलत तथ्यों के आधार पर पेश की गई हैं। तहसीलदार भरतपुर ने विधि सम्मत आदेश पारित किये हैं जिसमे हम किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझते हैं। अस्तु उक्त दोंनों अपील नम्बर अपील /25/2015 एवं अपील अपील /32/2015 काबिल खारिज खारिज के रहती हैं।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्टस नम्बर अपील/25/2015 एवं अपील संख्या 32/2015 खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 19–06–2024 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर,
भरतपुर